मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.nic.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/477 दिनांक : 05.07.2017

कार्यालय आदेश

M/s Pulse Pharmaceuticals, Khasra No.400, 407, 409, Karondi, Roorkee, Uttarkhand-247667 की वर्ष 2015–16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(141)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-13/2014/1009 दिनांक 11.09.2014 के तहत औषधि Metformin Hydrochloride SR 500mg, Glimepiride 2mg and Pioglitazone 15mg [456] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 1483 दिनांक 18/12/2015 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में निर्माता फर्म द्वारा, सप्लाई की गयी औषधि Metformin Hydrochloride SR 500mg, Glimepiride 2mg and Pioglitazone 15mg [456] को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 02 बैच को Assay of Glimepiride & Pioglitazone HCl में अवमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त नमूने Glimepiride & Pioglitazone HCl की मात्रा में अवमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई। उक्त औषधि का एक बैच Govt. lab. से जॉच कराये जाने पर Glimepiride & Pioglitazone HCl की मात्रा में अवमानक कोटि के घोषित किया गया।

इस तरह निर्माता फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्त की गई हैं। इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 15/05/2017 को निगम की अनुशासन समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर अवसर दिया गया। जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासन समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अवमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवम प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality के साथ–साथ Grossly Substandard की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के क्लॉज 4.5 के तहत निगम की अनुशासन समिति की अनुशंसा के आधार पर निर्माता M/s Pulse Pharmaceuticals, Khasra No.400, 407, 409, Karondi, Roorkee, Uttarkhand-247667 की औषधि Metformin Hydrochloride SR 500mg, Glimepiride 2mg and Pioglitazone 15mg [456] को यह आदेश जारी करने की तिथि से दो (2) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

(महावीर प्रसाद शर्मा) 3/7/17
प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2017-18/477 दिनांक : 05.07.17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3 मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।